ANNEX- P/8

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,

चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर

Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

क्रमांक 5(4)/2025-26/E-398575 ग्वालियर, दिनांक 04.02.2026

आदेश

उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, भोपाल के पत्र क्रमांक/आब/2023-24/03 दिनांक 01.01.2024 से सूचित अनुसार नकली शराब परिवहन परमिटों एवं अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 में निर्णय दिनांक 23.12.2023; जिसमे मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन के प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री उमाशंकर शर्मा, श्री जी.डी.अरोरा, श्री दिनकर सिंह एवं श्री मोहन सिंह तोमर एवं श्री दीनानाथ सिंह डायरेक्टर, मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन तथा अन्य को उक्त प्रकरण में पारित आदेश में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. माननीय न्यायालय के इस प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि इसमें आरोपीगणों ने मिलकर परमिट क्रमांक 10363, ट्रक क्रमांक एम.पी.09 एच.एफ. 5185 की बिल्टी और अनेकोनेक परमिट बुक कूटरचित करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिए आपराधिक षडयंत्र बनाकर कूटरचित परमिट से छल करने के आशय से कूटरचना की गई, कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लिया गया, जिसमें आरोपी मदनसिंह द्वारा 5 फर्जी परमिट बुक, विरेन्द्र भारद्वाज द्वारा 272, रामप्रसाद मिश्रा द्वारा 25, प्रीति गायकवाड द्वारा 279, संजय गोहे ने 282, कैलाश बंगाली ने 29, मोहन सिंह तोमर ने 676, उमाशंकर ने 75 और दिनकरसिंह ने 65 फर्जी परमिट की कूटरचना छल कारित करने के लिये कूटरचित दस्तावेज से स्वयं को अथवा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड को संदोष लाभ पहुंचाने के लिये तथा शासन को संदोष हानि कारित करने के लिये कूटरचित परमिट ओर बिल्टी से मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, रोजराचक से दीव को परिवहन किया।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,

चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर

Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में इकाईयों में पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही करते हुए, श्रीमती प्रीति गायकवाड, आबकारी उपनिरीक्षक को शासन आदेश दिनांक 25/09/2025 द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया है । शेष अधिकारी/कर्मचारी श्री मदन सिंह पवांर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, श्री कैलाश चन्द्र बंगाली, जिला आबकारी अधिकारी एवं श्री रामप्रसाद मिश्रा, आबकारी उपनिरीक्षक सेवानिृत हो गये हैं, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया है।

2. उपरोक्त अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 में निर्णय दिनांक 23.12.2023 के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2023-24/214, दिनांक 26.02.2024 द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन को इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 अंतर्गत आपकी उपरोक्त इकाइयों का लाइसेंस का निलंबन क्यों ना कर दिया जाएँ ?

जिस पर इस इकाइयों द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2024 से प्रस्तुत उत्तर में यह लेख किया गया कि अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर श्री निलेश यादव द्वारा जिस प्रकरण क्रमांक 975/2021, निर्णय दिनांक 23.12.2023 से आरोपियों को कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है उक्त आदेश के विरूद्व आरोपीगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पर विचारोपरांत निर्णय लेते हुए आवेदन को स्वीकार करते हुए अंतरिम आवेदन को निराकृत किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक CRA No.1146/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2024, प्रकरण क्रमांक CRA No.1246/2024 एवं प्रकरण क्रमांक CRA No.1249/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 में अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2023 पर स्थगन दिया है ऐसी स्थिति में इन इकाइयों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करने योग्य नहीं है तथा उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त होने से कारण बताओ सूचना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करना माननीय उच्च न्यायालय की आवमानना की श्रेणी में आता है।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

3. अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर श्री निलेश यादव द्वारा प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2023 तथा उक्त आदेश के विरूद्ध इकाई के अभियुक्तगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक CRA No. 1146/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2024, प्रकरण क्रमांक CRA No. 1246/2024 एवं प्रकरण क्रमांक CRA No. 1249/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के अनुक्रम में तथा अभियुक्तगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक CRA No. 1146/2024, प्रकरण क्रमांक CRA No. 1246/2024 एवं प्रकरण क्रमांक CRA No. 1249/2024 लंबित होने की की स्थिति में मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन एवं मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन के पक्ष में स्वीकृत लायसेंस के निलंबन की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं तथा लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाने पर कोई अवमानना की स्थिति तो निर्मित नही होगी, के संबंध में विधिक अभिमत प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अप/2024-25/677 दिनांक 02.07.2024 से अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को लिखा गया था, किन्तु अभिमत प्राप्त नहीं होने के कारण, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/5(1)/2024-25/772, दिनांक 25.07.2024 से अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को लिखा गया, तद्उपरांत पत्र क्रमांक/5(1)/2024-25/920 दिनांक 30.08.2024, पत्र क्रमांक/5(1)/2024-25/977 दिनांक 18.10.2024, पत्र क्रमांक/5(1)/2024-25/E-398575/1/201152/2025 दिनांक 03.01.2025 से पुनः लिखा गया था। महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर का पत्र क्रमांक-5725 दिनांक 24.12.2025 से प्राप्त विधिक अभिमत निम्नानुसार है :-

It is abundantly clear that the only relief granted to the appellants in CRA No.1146/2024, CRA No.1246/2024 and CRA No.1249/2024 by the Hon'ble High Court of M.P. Bench at Indore is the suspension of the execution of the sentences awarded to them however, the conviction of the appellants therein under the judgment dated 23.12.2023 passed by the learned Additional Sessions Judge, Depalpur, District Indore, in Session Case No. 21/2021 is still in operation even as on date.

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

Therefore, the two counts on which the opinion was sought are answered herein below:

(i) I have carefully gone through the orders passed by the Hon'ble High Court of M.P. Bench at Indore in CRA No. 1146/2024, order dated 06.02.2024 passed in CRA No. 1246/2024 and order dated 06.02.2024 passed in CRA No. 1249/2024, suspending the jail sentences awarded to the appellants, therein vide judgment and order dated 23.12.2023 passed by the learned Additional Sessions Judge, Depalpur, District Indore, in Sessions Trial No. 21/2021 and I opine that the proceedings for suspension of licenses u/s 31 of the M.P. Excise Act, 1915 issued in favour of M/s Som Distillers and Breweries Ltd., Rojrachak, District Raisen and Som Distillers and Breweries Ltd., Sehatganj, District Raisen can be undertaken in accordance with law.

(ii) There appears to be No question of arising of any contempt of the orders passed by the Hon'ble High Court of M.P. in the above referred criminal appeals, in case the proceedings for suspension of license u/s 31 of the M.P. Excise Act, 1915, are undertaken by the department.

4. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त अभिमत तथा इन इकाइयों के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक CRA No.1146/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2024, प्रकरण क्रमांक CRA No.1246/2024 एवं प्रकरण क्रमांक CRA No.1249/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 की अद्यतन स्थिति प्राप्त की गई जिसमे इस सभी प्रकरणों में अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर श्री निलेश यादव द्वारा प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2023 में आरोपीगणों को दी गई सजा के क्रियान्वयन पर ही रोक है परतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

दी गई सजा को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा ख़ारिज नहीं किया गया है। इसके साथ साथ उक्त आदेशों में मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक ज़िला रायसेन एवं मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन के पक्ष में स्वीकृत लायसेंस के निलंबन पर किसी प्रकार की रोक लगाया जाना उल्लिखित नहीं है।

उक्त प्रकरण में मुख्यत: आपकी इकाइयों के अंतर्गत तत्समय पदस्थ संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, कर्मचारियों के विरूद्व अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर श्री निलेश यादव द्वारा प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2023 में जो दण्डादेश जारी किया गया है उससे इकाइयों मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन को स्वीकृत अनुज्ञप्तियां में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1)(ख), 31(1)(ग), धारा 44 के अनुसार उल्लंघन की स्थिति कारित हुई है जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1) अनुसार इन इकाइयों पर दण्डनीय है।

5. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 44, सेवकों के कार्यो के लिये अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व:

"जहां इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, मंजूर किये गये अनुज्ञा-पत्र या पास के धारक के नियोजन में रखे गये तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-क, धारा 38, धारा 38-क या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाए, वहां ऐसा धारक भी उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया जो, जब तक वह यह साबित न कर दे कि उसने ऐसे अपराध किये जाने की रोक करने के लिए समस्त सम्यक एवं युक्तियुक्त पूर्वविधानियों का प्रयोग किया था"

6. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) (ख): यदि अनुज्ञप्तिधारक या उसके सेवकों में से किसी के द्वारा, या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य कारने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निबन्धनों या शर्तो में से किसी का कोई भंग होने की दशा में, या

T-C
S.Ksai Adh

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) (ग): यदि उसका धारक या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के या राजस्व से संबंधित तत्सयम प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन, या डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930 (क्रमांक 2 सन 1930) के अधीन या इंडियन मर्चेण्डाइज मार्क्स एक्ट, 1889 (क्रमांक 4 सन 1889) के अधीन या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन 1860) में पुन: स्थापित की गई हो, किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाए

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(घ): यदि उसका धारक किसी प्रसंज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया जाए,

7. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) अनुसार-अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलम्बित करने की शक्ति (1) ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा, चूँकि मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन को स्वीकृत अनुज्ञप्तियां आबकारी आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 13 एवम् 14 के अंतर्गत जारी की गई हैं अतः उनके निलंबन का अधिकार भी आबकारी आयुक्त को प्राप्त है।

अत: इकाइयों मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन में तत्सयम पदस्थ संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, कर्मचारियों का हित सन्निहित होने से एवम् इकाइयों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1) ख), 31 1)(ग), धारा 44 के अनुसार उल्लंघन होने की स्थिति से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 13 एवम् 14 के अन्तर्गत आपकी इकाई मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन को स्वीकृत डी-1 लायसेंस क्रमांक 35/2021/0001, एफ.एल.-9 लायसेंस क्रमांक 35/2021/0003, सी.एस.-1 लायसेंस क्रमांक 41/2025-26, 42/2025-26, 43/2025-26, 44/2025-26, 45/2025-26, 46/2025-26, 47/2025-26 सी.एस.1-बी लायसेंस क्रमांक

(Adv)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

35/2021/0014 तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन को स्वीकृत एफ.एल.-9 लायसेंस क्रमांक 35/2021/0004, एफ.एल.9-ए लायसेंस क्रमांक 35/2025/0031, बी-3 लायसेंस क्रमांक 35/2021/0002, एफ.एल.9-ए ऑफ बी-3 लायसेंस क्रमांक 35/2025/0032 को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) में सन्निहित शक्तियों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

Digitally signed by
Abhijeet Agrawal
Date: 04-02-2026
16:39:47
(अभिजीत अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 5(4)/2025-26/ E-398575 ग्वालियर, दिनांक 04.02.2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, संभाग भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त आदेश के प्रति संबंधित इकाईयों को तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें ।
4. प्रभारी अधिकारी, मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,सेहतगंज जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. प्रभारी अधिकारी, मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

T.C. Sfai (Adv)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
संयुक्त राजस्व भवन, चतुर्थ तल, नीडम रोड़,
चन्द्रवदनी नाका, ग्वालियर
Off.: 0751-2452810 • E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in

6. मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, डी-1/एफ.एल.9/सी.एस.1-बी एवं देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार ,सेहतगंज जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
7. मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड एफ.एल.9/बी-3 अनुज्ञप्तिधारक, रोजराचक जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।

(उपरोक्तानुसार ई-हस्ताक्षर)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

S.Rai (Adm)